



## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

### NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1364/JH/1/2023-APCR

दिनांक: 25/07/2023

1. श्री रामनरेश सिंह

अध्यक्ष,  
दामोदर घाटी निगम,  
एनबीसीसी टावर्स, हॉल नंबर 03,  
भीकाजी कामा प्लेस,  
नई दिल्ली - 110066  
Email Id: [chairman@dvc.gov.in](mailto:chairman@dvc.gov.in)


2. श्री किशोर कौशल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
जिला - रांची,  
एसएसपी कार्यालय, रांची,  
रांची, झारखंड 834001  
Email Id: [ssp-ranchi@jhpolicе.gov.in](mailto:ssp-ranchi@jhpolicе.gov.in)

**विषय:** आदिवासी प्रार्थी को दामोदर घाटी निगम के कर्मचारी द्वारा जातिसूचक शब्दों से प्रताड़ित किया जाने के संबंध में श्री अलेग्जेन्डर अ कुजूर, रांची का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री अलेग्जेन्डर अ कुजूर से दिनांक 18/07/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।

  
(हरि राम मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री अलेग्जेन्डर अ कुजूर,  
बहरी टोलो पुरुलिया रोड  
जिला - रांची, झारखंड, - 834001  
Mobile No: 9431352875